**भारत सरकार**

**आयुष मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 1776**

**16 दिसम्बर, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

**कार्य कुशलता बेहतर बनाने के नवाचारी उपाय**

**1776. श्री मितेष पटेल (बकाभाई):**
**श्रीमती शारदा अनिल पटेल:**
**श्री जगन्नाथ सरकार:**

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान मंत्रालय और/या इसके विभिन्न विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/संबंधित स्वायत्त निकायों द्वारा अधिक पारदर्शिता, जबावदेही और परिणामों में सुधार लाने के लिए कार्य प्रणाली में सुधार के लिए नए और नवाचारी उपाय किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रयासों का क्या प्रभाव पड़ा है?

**उत्तर**

**आयुष मंत्री (श्री सर्बानंद सोणोवाल)**

(क): जी हां।

(ख): आयुष मंत्रालय और इसके संगठनों में पिछले पांच वर्षों के दौरान कार्य प्रणाली, पारदर्शिता, जवाबदेही में सुधार और बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए कई नए और नवाचारी उपाय किए गए हैं। अपनाए गए कुछ नए/नवाचारी उपाय निम्नानुसार हैं:

(i) आयुष मंत्रालय और इसके संगठनों ने विभिन्न प्रकार की सूचना का संकलन, प्रसार और उसे प्रस्तुत करने के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का प्रयोग आरंभ किया है। संपूर्ण आयुष क्षेत्र के लिए एक व्यापक सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष ग्रिड नामक एक प्लेटफार्म/परियोजना की संकल्पना की गई है। आयुष ग्रिड प्लेटफार्म क्षमता निर्माण और मीडिया आउटरीच के साथ 6 कार्यात्मक क्षेत्रों- स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, अनुसंधान, औषध प्रशासन, औषधीय पादप और आयुष मंत्रालय पर्यवेक्षण में सेवा सुपुर्दगी के अंकीकरण के लिए अधिदेशित है।

(ii) आयुष मंत्रालय ने ई-ऑफिस, ई-ह्यूमन रिसोर्सिस मैनेजमेंट सिस्टम (ई-एचआरएमएस), स्मार्ट प्रफार्मेंस अपरेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो (स्पैरो) (वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) की एक ऑनलाइन प्रणाली), अचल संपत्ति रिटर्न (आईपीआर) की ऑनलाइन रिपोर्टिंग, सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) के अनुसरण में सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल के माध्यम से प्रापण/खरीद, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम

से लेखांकन और बिल निपटान, आरटीआई पोर्टल के माध्यम से सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदनों/अपीलों का निपटान, केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पोर्टल के माध्यम से शिकायतों का निपटान, भविष्य पोर्टल के माध्यम से पेंशनरों के मामलों का भुगतान/निपटान, आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस) के माध्यम से अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति का अंकन और उपभोज्य वस्तुओं की सूची के डिजिटलीकरण जैसी विभिन्न प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण अपनाया है।

(iii) आयुष मंत्रालय में फाइलों/मामलों के प्रस्तुतिकरण और अंतिम निपटान के स्तर की समीक्षा केंद्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति मैनुयल (सीएसएमओपी) - 2019 में निर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर की गई है।

(iv) आयुष मंत्रालय में समय-समय पर विभागाध्यक्ष (एचओडी) और कार्यालय अध्यक्ष (एचओओ) की वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन (डीएफपीआर) की समीक्षा की जाती है।

(v) क्षमता निर्माण आयोग, भारत सरकार द्वारा यथाअधिदेशित आयुष मंत्रालय में अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए मंत्रालय में एक क्षमता निर्माण एकक स्थापित किया गया है।

(vi) सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) जो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीएंडटी) का प्रशिक्षण प्रभाग है, 'मिशन कर्मयोगी- सिविल सेवा क्षमता निर्माण राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीसीएससीडी)' के बैनर के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। आईएसटीएम, डीओपीटी के अनुरोध पर इस मंत्रालय ने ऐसे प्रशिक्षणों के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित किया है।

(vii) आयुष मंत्रालय ने स्वच्छता के लिए विशेष अभियान 2.0 आरंभ किया है और कार्यालय परिसर को साफ और स्वच्छ रखा जा रहा है तथा लंबित मामलों का निपटान किया जा रहा है।

उपर्युक्त प्रयासों का उद्देश्य तेजी से निर्णय लेना है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकारों सहित जनता और विभिन्न हितधारकों को बेहतर सेवा वितरण, जेईएम पोर्टल के माध्यम से आसान और समय पर प्रापण/खरीद, आरटीआई आवेदन/अपीलों, शिकायतों और पेंशनरों के मामलों का समय पर भुगतान/निपटान होता है, डेटा और पुराने रिकॉर्ड की आसान पुनर्प्राप्ति, मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों की समय पाबंदी में वृद्धि आदि। इसके अलावा, उपर्युक्त विभिन्न उपायों से मंत्रालय और इसके संगठनों के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों और कार्य प्रणाली पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और पिछले कुछ वर्षों में दक्षता में वृद्धि हुई है।

*****